THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
WP-7769-2014
(Seema Sharma vs. State of M.P. & Ors.)

Gwalior, Dated 31.01.2019

Shri Prashant Sharma, learned counsel for the petitioner.

Smt. Nidhi Patankar, learned Government Advocate for the respondents/State.

With the consent of learned counsel for the parties, the matter is finally heard.

2. Challenge is to an order dated 04/12/2014; whereby, representation filed by the petitioner has been decided in pursuance to the order dated 20/10/2010 passed in Writ Petition No.3675/2009 has been rejected.

3. Relevant facts briefly are that the petitioner was initially appointed as District Women and Child Development Officer, in the year 1994. In the year 2002, she was promoted as Deputy Director. The next promotion from the post of Deputy Director is to that of Joint Director. The petitioner became due for consideration in the year 2012 for the promotion to the post of Joint Director.

4. That, as per Rule 7 of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules 2002, promotion from Class-I to higher pay-scale of Class-I is on the basis 'merit-cum-seniority' coupled with benchmark of “Very Good”. The benchmark is arrived on the basis of the stipulations contained in Sub-rule (9) and Sub-rule (10) of

Rule 7 of 2002 Rules, which mandates:

''(9) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर चयन की प्रक्रियाः–

(i) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पद पर पदोन्नति का मापदंड ''योग्यता सह वरिष्ठता'' है तथा बेंचमार्क ग्रेड ''बहुत अच्छा'' निर्धारित है। यह बेंचमार्क ग्रेड विचाराधीन अवधि के समग्र मूल्यांकन (over all grading) के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।

(ii) उपरोक्त उद्देश्य के लिये लोक सेवकों के विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के वर्गीकरण को अंकों में व्यक्त किया जावे। इसके लिए ''उत्कृष्ट'' श्रेणी हेतु 4 अंक, ''बहुत अच्छा'' श्रेणी हेतु 3 अंक, ''अच्छा'' श्रेणी के लिये 2 अंक, ''औसत'' श्रेणी के लिये 1 अंक तथा ''घटिया'' श्रेणी के लिये शून्य अंक निर्धारित किये जायें। जिन लोक सेवकों का विचाराधीन 5 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 13 से 19 अंक आता है उनका विचाराधीन अवधि का समग्र मूल्यांकन ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा। जिन लोक सेवकों के विचाराधीन 5 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 20 अंक होता है उन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

(iii) जिन लोक सेवकों को ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा उन्हें चयन सूची में सबसे उपर रखा जावेगा। यदि एक से अधिक लोक सेवक ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं तो उन्हें उनकी फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/ पद के वेतनमान की पारस्परिक वरिष्ठता बनाये रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात् रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर–''बहुत अच्छा'' श्रेणी वाले लोक सेवकों को उनकी फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुए चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) उदाहरणार्थ किसी संवर्ग में 3 अनारक्षित रिक्तियों के लिये चयन सूची बनानी है और विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों का वरिष्ठता क्रमांक एवं विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का योग निम्नानुसार हैः–

फीडर संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक	लोक सेवक का नाम	विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन का योग
10	क	15
11	ख	14
12	ग	13
13	घ	16
14	ङ	17
15	च	18

16	छ	20
17	ज	16
18	झ	20
19	ञ	18

उपलब्ध 3 रिक्तियों के लिये चयन सूची निम्नानुसार बनायी जायेगीः–

चयन सूची में सरल क्रमांक	लोक सेवक का नाम	प्राप्तांक	फीडर संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक	
1	छ	20	16	
2	झ	20	18	
3	क	15	10	
4	ख	14	11	} अप्रत्याशित रिक्तियों के लिये
5	ग	13	12	} 2 व्यक्ति

(V) जिन संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षो क आधार पर उक्तानुसार अंकों की गणना की जाएगी।

(VI) विभागीय पदोन्नति/छानवीन समिति द्वारा विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर अंकों का निर्धारण ''स्वीकृतकर्ता अधिकारी'' द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। यदि समिति गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह इसके लिये अपने कारण लिपिबद्ध करते हुए मूल्यांकन करेगी परन्तु समिति स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त अंक में केवल ''एक'' अंक बढ़ा सकेगी अथवा घटा सकेगी। उदाहरणार्थ किसी लोक सेवक के वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन ''अच्छा'' श्रेणी का किया गया है परन्तु स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने मूल्यांकन ''उत्कृष्ट'' श्रेणी किया है जिसमें संबंधित लोक सेवक को 4 अंक प्राप्त होने चाहिये। पदोन्नति/छानवीन समिति उसके द्वारा लिपिबद्ध किये गये कारणों से स्वकीकृतकर्ता अधिकारी के उपरोक्त मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह उक्त 4 अंकों में केवल ''एक'' अंक तक ही कम कर सकेगी। इस स्थिति में संबंधित लोक सेवक का वर्ष 2000 के गोपनीय प्रतिवेदन में पदोन्नति/छानवीन समिति द्वारा किये गये पुर्नमूल्यांकन के

आधार पर 3 अंक प्राप्त होंगे।

(10) मूल्यांकन के मानकों को कम करना–

संविधान के 82वे संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में जोड़े गये परन्तुक के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में मूल्यांकन के मानकों को कम करने के उपबंध करने की शक्तियां राज्य शासन को दी गई है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र में निर्धारित मानक वाले अपेक्षित अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते हैं तो पहले निर्धारित मानक पूरा करने वाले आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों के नाम चयन सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। तत्पश्चात् शेष बची आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये पदोन्नति/छानवीन समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये, निर्धारित मानक (''बहुत अच्छा'' न्यूनतम 13 अंक) में क्रमशः एक–एक अंक कम करते हुए न्यूनतम 10 अंक (अच्छा) तक मानक शिथिल किया जाएगा और उक्तानुसार शिथिल किये गये मानक को पूर्ण करने वाले उक्त प्रवर्ग के लोक सेंवकों को उनकी फीडर संवर्ग की वरिष्ठतानुसार चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात् निर्धारित मानक ''बहुत अच्छा'' पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवक अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर शेष बची आरक्षित रिक्तियों के लिये इन प्रवर्ग के लोक सेवकों हेतु मानक (बैचमार्क, ग्रेड) ''अच्छा'' श्रेणी तक शिथिल किया जाएगा।

यदि उक्त शिथिलीकरण के वाद भी आरक्षित पद बिना भरे रह जाते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी डी.पी.सी. की अनुशंसा अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। साथ ही, मानक के शिथिलीकरण के बाद भी आरक्षित पद नहीं भर पाने संबंधी जानकारी डी.पी.सी. के कार्यवाही विवरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–3) को विश्लेषण के लिये तत्काल भेजेंगे।''

5. That, the Departmental Promotion Committee (DPC) convened its meeting on 07/12/2012 to consider for promotion to the post of Joint Director of all such Deputy Directors who were within the zone of consideration as on 01/01/2012 of having completed 5 years regular service in the feeder cadre. The DPC laid down following criteria for promotion:

''5. पदोन्नति नियम 2002 के नियम–7 अनुसार प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति का मापदण्ड ''योग्यता–सह–वरिष्ठता'' प्रावधानित है। अतः 05 वर्षों के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनो का बैंचमार्क ग्रेड ''बहुत अच्छा'' निर्धारित किया गया। यह बैंचमार्क ग्रेड विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया।

6. गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन को अंकों में व्यक्त किया गया। ''उत्कृष्ट श्रेणी'' हेतु 04, ''बहुत अच्छा'' श्रेणी हेतु 03, '' अच्छा श्रेणी'' के लिए 02, ''औसत श्रेणी'' के लिए 01 अंक तथा ''घटिया श्रेणी'' के लिए 0 अंक निर्धारित किये गये।

7. जिन अधिकारियों के विचाराधीन 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंको का कुल योग 13 से 19 आता है, उसे ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा, तथा जिन अधिकारियों के विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का कुल योग 20 होता है उन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

8. जिन अधिकारियों को ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा उन्हें सूची में सबसे ऊपर रखा जायेगा। यदि एक से अधिक अधिकारीगण ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में वगीकृत किये जाते हैं तो उन्हें उनके फीडर संवर्ग की पारस्परिक वरिष्ठता बनाये रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर ''बहुत अच्छा'' श्रेणी वाले अधिकारियों को उनकी फीडर संवर्ग की पारस्परिक वरिष्ठता बनाये रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

9. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनो की श्रेणी का आवश्यकतानुसार युक्तियुक्तकरण किया गया।''

6. The petitioner was considered against 03 unreserved (UR) posts of general category wherein as per criteria laid down, she was given 18 marks, as under:

''10/विचार क्षेत्र सूचीः–
निम्नलिखित उप संचालकों को 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर विचारक्षेत्र सूची में सम्मिलित किया गयाः–

क्र0	अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची का क्रमांक	प्रवर्ग	मूल्यांकन
1	सुश्री प्रेमा सेठी	4	अनारक्षित	20 अंक
2	श्रीमती रचना बुधोलिया	5	अनारक्षित	17 अंक
3	श्रीमती राजपाल कौर	7	अनारक्षित	20 अंक

4	सुश्री ममता पाठक	8–ए	अनारक्षित	19 अंक
5	श्री अमिताभ अवस्थी	14	अनारक्षित	20 अंक
6	श्रीमती कल्पना बोहरे	14–ए	अनारक्षित	17 अंक
7	श्रीमती सीमा शर्मा	19	अनारक्षित	18 अंक
8	श्री दशरथ सिंह मीना	20	अनारक्षित	07 अंक
9	श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी	21	अनारक्षित	20 अंक
10	श्री रामप्रसाद रमनवाल	23	अनु0 जाति	20 अंक
11	श्री आर.सी.शुक्ला	24	अनारक्षित	18 अंक
12	श्रीमती रेखा शर्मा	25	अनारक्षित	19 अंक
13	श्री शिव कुमार शर्मा	27	अनारक्षित	20 अंक
14	श्री हरिकृष्ण शर्मा	28	अनारक्षित	20 अंक
15	श्रीमति तृप्ति शिरोड़कर (त्रिपाठी)	29	अनारक्षित	18 अंक
16	श्रीमती मंगलेश सिंह	30	अनारक्षित	00 अंक

7. As three Senior Deputy Directors, viz, Ms. Prema Sethi, Smt. Rajpal Kaur and Shri Amitabh Awasthi, got higher marks/ranking then the petitioner, they were recommended for promotion.

8. Pertinent it is to note that prior to the meeting of Departmental Promotion Committee, the petitioner on the basis of her application under Right to Information Act was communicated the ACRs ending March 2011 vide Communication dated 16/07/2012. Petitioner found some portion of ACR as adverse (as against reporting officers remark as excellent the Accepting Officer recorded the ACR as "B" (Good). Petitioner preferred representation which was rejected on 23/08/2012. Whereagainst, the petitioner preferred a Writ Petition No.766/2013 which was

decided on 18/02/2013; whereby, while setting aside the order dated 23/08/2012, the matter was relegated to the Competent Authority with the following directions:

> "I have heard learned counsel for the parties and perused the record.
> Para 2 of the said circular dated 14.08.2006 reads as under:
>
> > ''2. उक्त संदर्भित ज्ञापनों का स्पष्ट मंतव्य है कि शासकीय सेवकों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में लिखी गई प्रतिकूल टीकाएं एवं सुझावात्मक टीकाओं को ही संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाना चाहिए और जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीका विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है जो सामान्यतः स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई श्रेणी को ही अंतिम मान्य किया जाता है, परन्तु यदि प्रतिकूल प्रविष्टि का कुछ भाग बचता है तो उसके आधार पर समग्र मूल्यांकन कर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्रेणी निर्धारित की जाती है यदि किसी गोपीनीय चरित्रावली में विरोधाभासी प्रविष्टियां हो या फिर यदि स्वीकारकर्ता अधिकारी द्व ारा प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टीकाओं से असहमति व्यक्त करते हुए निम्न श्रेणी का मत दिया गया है तो उन पर विचार कर अंतिम मूल्यांकन करने का दायित्व एवं अधिकारी पदोन्नति समिति का है, अतः पदोन्नति (क्रमोन्नति भी) के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित श्रेणीकरण ही अंतिम रूप से मान्य किया जाना चाहिए।''
>
> Bare perusal of this paragraph shows that the DPC is equipped with the power to finally assign valuation but this para nowhere prescribes any power to DPC to set aside or interfere with an offending portion of the ACR. In other words, para 2 of the said circular shows that on the basis of available ACR, the final valuation will be done by the DPC but the said circular nowhere prescribes that the employee's representation against the ACR can be considered and decided by the DPC. Accordingly, in my opinion the impugned order is based on incorrect provision and respondents have erred in not deciding the representation of

> the petitioner. In the opinion on this Court the circular dated 14.08.2006 referring to Annexure P-10 is of no assistance to the respondents on the question of representation against a portion of an adverse ACR.
> Consequently, in my opinion, the impugned order Annexure P-10 is based on incorrect and extraneous consideration and is therefore set aside. Respondents are directed to decide the representation of the petitioner, Annexure P-10, in accordance with law expeditiously, preferably within a period of 90 days. The outcome of the representation shall be communicated to the petitioner. If petitioner's ACR is toned down or adverse portion is expunged which makes her eligible for consideration for promotion, she be considered on her turn for promotion by holding DPC/Review DPC."

9. Evidently, paragraph 2 of Circular dated 14/08/2006 related to the proceedings to be adhered to by the Departmental Promotion Committee while considering the incumbents for promotion. Be that as it may. Evidently, the respondent in pursuance to directions in Writ Petition No.766/2013 considered the representation and decided the same by impugned order dated 04/12/2014.

10. Evidently, there are two aspects of the matter, one relates to recording of the ACRs and the other assessment of incumbent within the zone of consideration for promotion to the post of Joint Director.

11. As borne out from record, the DPC which held its meeting on 07/12/2012 on the basis of the stipulations contained in the Rules of

Promotion laid down the criteria and after overall evaluation award 18 marks to the petitioner. Since three seniors to the petitioner who were at Srl. No.4, 7 and 14 of the Gradation List of Deputy Directors; whereas, the petitioner is at Srl. No.19, even if the claim of the petitioner is accepted as to "Excellent" ACR for the year ending 31/03/2011, then also even with 20 marks which is the maximum which can be awarded, she does not get the promotion as Joint Director, because there were only 03 posts for the Unreserved Category.

12. As regard to recording of ACR of the year ending 31/03/2011 evident it is from the material on record that Joint Director, Women and Child Development, Gwalior Division Gwalior who is the Reporting Officer records thus:

> "2. <u>श्रेणी</u>
> (उत्कृष्ट) ''क+''
> सीमा शर्मा एक उत्कृष्ट श्रेणी की अधिकारी हैं। वे अपनी नेतृत्व क्षमता से अधीनस्थों से शासन के हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करती है।''

13. The Review Authority, i.e. Collector, Gwalior agreed with the Reporting Officer. The Accepting Officer i.e. Director, Women and Child Development, however, finds her a "Good" Officer:

> ''प्रतिवेदक तथा समीक्षक अधिकारी की टीप से असहमत कार्य संपादन औसत स्तर का, कार्य के प्रति समर्पण भी सामान्य स्तर का पाया गया. मेरे मतानुसार श्रेणीकरण–अच्छा''

14. The question is whether the grading recorded by the

Accepting Officer tantamount to downgrading.

15. It is pertinent to note at this stage that as per General Administration Department, State of Madhya Pradesh Memo No.580/2982/94/9/,d dated 06.09.1994, where the Accepting Authority while disagreeing with the grading by the Reporting and Reviewing Authority gives his own grading, then such grading shall be accepted as the grading in ACR of the incumbent. The memorandum is in following terms:

> ''विषय– गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका निष्प्रभावी होने के संबंध में।
>
> शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में जहां प्रतिवेदन अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा अंकित की गई टीका प्रतिकूल स्वरूप की हो किन्तु समीक्षाकर्ता अधिकारी (Reviewing Authority) एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी (Accepting Authority) ने स्पष्ट रूप से असहमति अंकित की हो, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा दी गई टिप्पणी को प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में संसूचित किया जाना चाहिए या उस टिप्पणी को निष्प्रभावी मानकर कार्यवाही की जानी चाहिए।
>
> 2. उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में भारत सरकार के का.ज्ञा. संख्या 52/5/72– स्थापना (क), दिनांक 20–05–1972 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में पुनरीक्षक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई असहमत है तो उच्च अधिकारी का मत सही मूल्यांकन माना जायेगा।
>
> 3. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1–7 में गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीका के स्वतः निष्प्रभावी होने के सम्बंध में कोई स्पष्ट निर्देश न होने से भारत शासन के प्रावधान अनुसार परीक्षण उपरान्त राज्य शासन ने इस सम्बंध में यह निर्णय लिया है कि यदि किसी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा

प्रतिकूल टीका अंकित की गई है और यदि उस दी गई प्रतिकूल टीका से पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई अपनी असहमति व्यक्त करता हो तो ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मत को ही सही माना जाकर मूल्यांकन किया जाये।

कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाये।''

16. In the case at hand when the recording of remark "Good" by the Accepting Officer is considered in the context of Circular issued by the General Administrative Department, the contention on behalf of the petitioner is that the same tantamount to downgrading cannot be accepted. The reason being that, there exits hierarchy in respect of recording of Annual Confidential Report with the Reporting Officer, Reviewing Officer and the Accepting Officer. The chain is complete once the Accepting Officer records the remarks. Thus, where the Accepting Authority in oppugnation to what is recorded by the Reporting or Reviewing Authority, records some remark which may be lower to what has been recorded by the Reporting or Reviewing Authority, the same in our considered opinion, cannot be construed as downgrading of remarks.

17. The extent of Judicial Review in respect of recording remarks came up for consideration before Hon'ble Supreme Court in **Bharat Ram Meena Vs. Rajasthan High Court At Jodhpur and others: [(1997) 3 SCC 233],** wherein their Lordships were pleased to observe:-

"14. .....The appellant had his opportunity to make representation against the report which he did. The appellant is to be judged on the strength of his work and his conduct. We do not find that the assessment of the merit of the appellant can be treated in any way as arbitrary or without any factual basis. Nothing has been brought on record to justify the Court in exercise of its writ jurisdiction to intervene and quash the adverse remarks in the Annual Confidential Reports of the appellant."

18. In **"Badrinath Vs. Government of Tamil Nadu and others [(2000) 8 SCC 395]"**, it is held by their Lordships:

"40. Unless there is a strong case for applying the Wednesbury doctrine or there are mala fides, Courts and Tribunal cannot interfere with assessments made by Departmental Promotion Committees in regard to merit or fitness for promotion. But, in rare cases, if the assessment is either proved to be mala fide or is found based on inadmissible or irrelevant or insignificant and trivial material - and if an attitude of ignoring or not giving weight to the positive aspects of one's career is strongly displayed, or if the inferences drawn are such that no reasonable person can reach such conclusions, or if there is illegality attached to the decision, - then the powers of Judicial review under Article 226 of the Constitution are not foreclosed.

41. While the courts are to be extremely careful in exercising the power of judicial review in dealing with assessment made by Departmental Promotion Committees, the executive is also to bear in mind that, in exceptional cases, the assessment of merit made by them is liable to be scrutinised by courts, within the narrow Wednesbury principles or on the ground of mala fides. The judicial power remains but its use is restricted to rare and exceptional situations. We are making these remarks so that courts or tribunals may not - by quoting this case as an easy precedent - interfere with assessment of merit in every case. Courts and Tribunals cannot sit as appellate authorities nor substitute their own views to the views of Departmental Promotion Committees. Undue interference by the Courts or Tribunals will result

> *in paralysing recommendations of Departmental Committees and promotions. The case on hand can be a precedent only in rare cases."*

19. In **"Major General I.P.S. Deewan Vs. Union of India and others [(1995) 3 SCC 383]"** wherein it is held:

> *"10. .....Indeed adverse remarks, as is well-known, can be made by the appropriate superior officer on the basis of mere assessment of the performance of the officer and no enquiry or prior opportunity to represent need be provided before making such remarks....."*

20. In view whereof, taking any view of the matter, petitioner is not entitled for the relief sought.

21. Consequently, Petition fails and is dismissed. No costs.

(Sanjay Yadav)
Judge

pwn*

PAWAN KUMAR
2019.02.21
12:47:54 +05'30'